न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 16 / 2022
प्रविष्टि दिनांक 20.10.2022

जरिये धर्मचन्द अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
– प्रार्थी

बनाम

मै0सन्नू पुत्र जुम्मा खाँ गोल हवेली के सामने मोती बाग रोड टोंक
– अप्रार्थी

जब्तशुदा 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी एंव मोटर पाईप मय रेगूलेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–

1– पेराकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2– अप्रार्थी स्वंय

निर्णय **दिनांक 30.11.2022**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 12.10.2022 को प्रवर्तन अधिकारी टोंक बहमराह कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक के साथ मै. सन्नू पुत्र श्री जुम्मा खाँ, गोल हवेली के सामने मोती बाग रोड टोक के मकान के बाहर परिसर में अवैध गैस रिफिलिंग की सूचना प्राप्त होने पर पहुंचे। मौके पर प्रार्थी के मकान के सामने एक मोटर जिससे वाहनों में अवैध रिफिलिंग का कार्य किया जाता है रखी हुई थी,जिसका एक सिरा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर से जुड़ा हुआ था एवं मोटर बिजली के तार बोर्ड से जुडी हुई थी। पूर्व में भी इसी परिसर में अवैध रिफिलिंग का कार्य किया जाता रहा है एवं विभाग द्वारा वहाँ पूर्व में भी कार्यवाही की जा चुकी है। घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर का अवैध रूप से मोटर से जोड़ा जाना, इससे स्पष्ट है कि वहाँ पर उक्त सिलेण्डर के माध्यम से अवैध रिफिलिंग का कार्य हो रहा था। उक्त कृत्य एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण उक्त एक सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर एवं मोटर सहित 2 मौके पर कब्जेराज लिया जाकर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:58:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
01	625141	(BPCL)	14.2	16.1	24.4	8.03

इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग कर आबादी क्षेत्र में अवैध कार्य किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन है। अतःजब्तशुदा एक घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 8.3 Kg एलपीजी, रबर पाईप, मय रेगुलेटर व मोटर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 12.10.2022 को प्रवर्तन अधिकारी टोंक बहमराह कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक के साथ मै. सन्नू पुत्र श्री जुम्मा खाँ, गोल हवेली के सामने मोती बाग रोड टोक के मकान के बाहर परिसर में अवैध गैस रिफिलिंग की सूचना प्राप्त होने पर पहुंचे। मौके पर प्रार्थी के मकान के सामने एक मोटर जिससे वाहनों में अवैध रिफिलिंग का कार्य किया जाता है रखी हुई थी,जिसका एक सिरा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर से जुड़ा हुआ था एवं मोटर बिजली के तार बोर्ड से जुडी हुई थी। जैसे ही हमारी गाड़ी परिसर में प्रवेश करती है सन्नू के मकान के बाहर मोटर के पास एक व्यक्ति खड़ा था जो हमे देखकर मकान में भाग गया। वहा पर मकान में गेट बजाकर पूछने पर उसने कहा कि यह मोटर एवं सिलेण्डर हमारा नहीं है। मौके पर अन्य व्यक्ति जो वहां खड़े थे वह जॉचदल को देखकर भाग गये। पूर्व में भी इसी परिसर में अवैध रिफिलिंग का कार्य किया जाता रहा है एवं विभाग द्वारा वहाँ पूर्व में भी कार्यवाही की जा चुकी है। घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर का अवैध रूप से मोटर से जोड़ा जाना, इससे स्पष्ट है कि वहाँ पर उक्त सिलेण्डर के माध्यम से अवैध रिफिलिंग का कार्य हो रहा था। उक्त कृत्य एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 का स्पष्ट उल्लंधन होने के कारण उक्त एक सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर एवं मोटर सहित 2 मौके पर कब्जेराज लिया जाकर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई।

इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग कर आबादी क्षेत्र में अवैध कार्य किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन है। उक्त जब्तशुदा एक घरेलू गैस सिलेण्डर मय 8.3 Kg एलपीजी गैस रबर पाईप, रेगुलेटर एवं मोटर को जब्त किया गया तथा जब्त शुदा मय गैस सिलेण्डर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:58:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु टोंक गैस डिस्ट्रीब्यूटर के प्रतिनिधि श्री सुशील महावर पुत्र श्री दुर्गालाल महावर निवासी कुम्हारो की चौकी पायगा टोंक की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नहीं करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघन किया है। उक्त जब्तशुदा एक घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 8.3 Kg एलपीजी, रबर पाईप, मय रेगुलेटर व मोटर को _ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश न कर प्रकरण का उचित निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया।

हमने पेरोकार सरकार की बहस एंव अप्रार्थी के कथन पर मनन किया व पत्रावली का अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 12.10.2022 के अनुसार मै. सन्नू पुत्र श्री जुम्मा खाँ, गोल हवेली के सामने मोती बाग रोड टोक की दुकान/परिसर स्थल का निरीक्षण करने पर मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर को ईधन के रूप में अवैध रूप से अवैध रिफिलिंग का कार्य करने के कारण क्र.1 सिलेण्डर मय रबर पाईप, मय रेगुलेटर व मोटर सहित मौके पर जब्त कर तौल पर्ची तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
01	625141	(BPCL)	14.2	16.1	24.4	8.03

जांच करने पर दुकान/परिसर मे मौके पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर सुशील के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी सुशील के हस्ताक्षर है। टोंक गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रतिनिधि किशोर महावर को उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप से रिफिलिंग के कार्य में प्रयोग करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:58:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 1 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 8.3 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:58:38 IST
Reason: SelfAttested